छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **पंचदश सत्र**

बुधवार, दिनांक 04 जनवरी, 2023

(पौष 14, शक सम्वत् 1944)

[अंक 05]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 4 जनवरी, 2023

(पौष 14, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यकाल के चार वर्ष पूर्ण होने पर बधाई</u>

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपके कार्यकाल का 4 वर्ष पूरा हुआ है। हम सब आपको बहुत-बहुत बधाई एवं शुभाकामनाएं देते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नारायण चंदेल :- आपके दीर्घ अनुभव का लाभ इस पूरे सदन को मिला है। छत्तीसगढ़ की विधान सभा और अधिक ऊंचाइयों को स्पर्श करें, यही हमारी कामना है। आप सुखी, स्वस्थ, मस्त एवं व्यस्त रहें। आपको बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत बधाई। आपका संरक्षण हम सबको निरंतर मिले। हम अध्यक्ष के तौर पर भी और दूसरी तौर पर भी अपेक्षा करते हैं। चूंकि आज 4 साल पूरे हो गये हैं तो नियमों में शिथिल करते हुए मोहन मरकाम जी का भाषण अभी प्रश्नकाल में करवा दीजिये। वह 4-5 दिन से कूद रहे हैं। (हंसी)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सफलतम 4 साल के लिए बहुत-बहुत बधाई।

श्री अरूण वोरा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सफलतम 4 साल के लिए बहुत-बहुत बधाई। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपका संरक्षण हमको प्राप्त होता है। हम सबको आगे और भी आपका संरक्षण प्राप्त होता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके लोकप्रिय चार साल के लिए बहुत-बहुत बधाई और मुख्यमंत्री जी, आपको दादा बनने की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन विशेष दिवस है। आपके कार्यकाल का 4 साल पूरा होने पर आपको बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। उन्होंने आपको 4 वर्ष की बधाई दी। मैं भी सदन के नेता के हैसियत से आपको आपके कार्यकाल के 4 साल पूरे हुए और आपके संरक्षण में सदन अच्छा से चला, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसी प्रकार के आपका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। सदन के साथियों ने मुझे दादा बनने की बधाई दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन यह दो ही सदस्य काला पट्टी लगाकर क्यों आए हैं? शिवरतन जी विरोध नहीं कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं तो आपको बधाई दूंगा। आप दादा बन गये हैं।

श्री भूपेश बघेल :- भाई, आप नाना हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- हाँ, मैं बिल्कुल नाना हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- आप नाना बने हैं, उसके लिए आपको बधाई।

श्री शिवरतन शर्मा :- जी, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपको 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के लिए बहुत-बहुत बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- Thank you.

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, एक बार नियमों में शिथिल करके प्रश्नकाल में मोहन मरकाम जी का भाषण करवा दीजिये। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- आदरणीय नेता जी, विपक्ष के नेता जी और आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबद्ध (डॉ. श्रीमती रश्मि आशिष सिंह) :- आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के सभी महिला विधायकों की ओर से आपके कार्यकाल का 4 वर्ष पूरा होने पर बहुत-बहुत बधाई देती हूं। आदरणीय भूपेश भैया को दादा बनने की बधाई देती हूं और दादी कवासी लखमा जी का भी जन्मदिन है, मैं उनको भी बधाई देती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कवासी लखमा जी, आप कहाँ हैं?

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके कार्यकाल का 4 वर्ष पूर्ण होने पर आपको बहुत-बहुत बधाई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दादा बनने पर बधाई और कवासी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई।

<u>जन्मदिवस की बधाई</u>

<u>श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री</u>

अध्यक्ष महोदय :- लखमा जी, आपको हमारी ओर से एवं सदन की ओर से बहुत-बहुत बधाई हो।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आपसे फिर निवेदन है कि मोहन मारकाम जी के भाषण होते तक प्रश्नकाल को शिफ्ट कर दिया जाए। वह बहुत दिन से कूद रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं वह भी देख लेता हूं कि वह मेरी व्यवस्था के अंतर्गत है या नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- लखमा जी, आपको लख-लख बधाई।

श्री शिवरतन शर्मा :- लख-लख बधाई के साथ में क्या है?

श्री अजय चंद्राकर :- लखमा जी, ऐसा नहीं चलेगा। कुछ ऐसा लाओ, ऐसा-ऐसा। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- श्री धर्मजीत सिंह ।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रश्न संख्या 01 :- XX XX

नगर पालिक निगम धमतरी अंतर्गत सी.सी. रोड निर्माण कार्य निरस्त होना

[नगरीय प्रशासन एवं विकास]

2. (*क्र. 237) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या नगर पालिक निगम धमतरी के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में सुंदरगंज वार्ड में एन एच-30 से श्याम खाटू मंदिर तक सीसी रोड निर्माण कार्य निविदा एवं कार्यादेश जारी होने के पश्चात कार्य को निरस्त किया गया है? यदि हां, तो निरस्त होने के कारण एवं किस दिनांक को निरस्त किया गया, जानकारी देवें?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : **(क)** जी हाँ नगर पालिक निगम धमतरी के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में सुंदरगंज वार्ड में एन एच-30 से श्याम खाटू मंदिर तक सीसी रोड निर्माण कार्य निविदा एवं कार्यादेश जारी होने के पश्चात कार्य को निरस्त किया गया है। उक्त कार्य की निविदा एवं कार्यादेश उपरांत निरीक्षण में प्रस्तावित रोड का स्थल निजी स्वामित्व की भूमि एवं अवैध प्लाटिंग क्षेत्र के अंतर्गत पाये जाने के कारण दिनांक 22.12.2021 को निरस्त किया गया ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संभालते हुए 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देती हूं। आपके मार्गदर्शन में हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहती हूं कि जिस सी.सी. रोड निर्माण का कार्यादेश आपने जारी किया था, उसे यह कह कर निरस्त किया है कि यह निजी स्वामित्व की भूमि है तो क्या इस स्थान पर रोड का निर्माण हो गया है? यह पहला प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि उक्त स्थान में निगम के

द्वारा क्या अवैध प्लाटिंग की शिकायत मिली थी? यदि शिकायत मिली थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? और कार्रवाई के पश्चात पुन: उस स्थान पर रोड क्यों स्वीकृत किया गया?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के जो पार्षद और नेता प्रतिपक्ष [XX][1] हैं, उन्होंने आवेदन किया था कि श्याम खाटू मंदिर सुंदरगंज वार्ड स्थित मंदिर जाने वाले रास्ते का निर्माण किया जाए। एम.आई.सी. ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था कि स्वीकृति दी जाये । स्वीकृति हो गई, टेण्डर हो गया उसके बाद कार्यादेश भी जारी हो गया लेकिन जब वास्तव में अंतिम जांच के लिये भेजा गया तो वह जमीन जो है निजी स्वामित्व की और अवैध प्लाटिंग क्षेत्र में था इसीलिये उसको निरस्त कर दिया गया और वहां के जो कॉलोनाईजर हैं उनको नोटिस दिया गया कि इस तरह का कार्य न किया जाये और भविष्य में इस तरह के सड़क निर्माण के पहले आप अनुमति ले लें उसके बाद करें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दूसरा विषय है । मेरा पहला प्रश्न है कि उस स्थान पर क्या पहले रोड का निर्माण हो चुका था और जब निगम को शिकायत मिली तो निगम ने क्या कार्यवाही की ? यह तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, यह दूसरी बार रोड निर्माण स्वीकृत होकर निरस्त हुआ है । इसके पहले भी क्या वहां पर रोड बन चुकी थी ? उस रोड को क्यों तोड़ा गया ? मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या शिकायत के आधार पर उसे तोड़ा गया ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह रोड बनी ही नहीं थी इसीलिए तो स्वीकृत हुई थी और वहां के जो पार्षद हैं, इनके नेता प्रतिपक्ष हैं । हम लोग सहृदयतापूर्वक उसको लोगों को आवागमन की सुविधा होगी इसलिए हमने स्वीकृत कर दिया था और उनको नोटिस दिया गया है कि आगे इस तरह कार्यवाही न करें ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, आपको शायद ठीक से आपके अधिकारी जानकारी नहीं दे रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं । आप धमतरी में पता करियेगा कि यह रोड अवैध प्लाटिंग में बनी थी । रोड की शिकायत एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन बार आमजन मानस के हाथों इस रोड की शिकायत हुई और शिकायत के पश्चात् उस रोड को तोड़ा गया । अब ऐसी क्या घटना हुई कि उस रोड को तोड़ने के बाद निगम उसको स्वीकृत करता है जबकि शिकायत निगम को हुई है। आपने स्वीकार किया है कि निजी भूमि स्वामित्व है तो मैं यह जानना चाहती हूं कि उसके बाद कैसे रोड स्वीकृत हुई ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनाधिकृत रोड बनायी गयी थी इसीलिये उसको तोडा गया था । इन्हीं के भाजपा के पार्षद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने आवेदन किया था कि उस रोड को बनाया जाये । एम.आई.सी. ने प्रस्ताव पारित करके यहां शासन को भेजा था तो वह स्वीकृत हो गया था जब वास्तविक जानकारी मिली कि वह निजी स्वामित्व की जमीन है और प्राईवेट कॉलोनाईजर

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

उसमें इंवाल्व है तो इसीलिये उसको निरस्त किया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यही तो बता रहा हूं कि सरकार की तरफ से गलत काम नहीं हो सकता है । हम तो सहृदयतापूर्वक इनके वहां के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उन्होंने कहा था कि जनसुविधा को देखते हुए हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया था लेकिन जब उनका आवेदन गलत पाया गया तो उन पर कार्यवाही की गयी, उनको नोटिस भी दिया गया है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, क्या निगम को जानकारी नहीं थी कि यह अवैध प्लॉटिंग है ? फिर आपने उसमें रोड स्वीकृत कर दी । मैं यह जानना चाह रही हूं कि ऐसी क्या मंशा थी कि जिसमें आपने फिर से उसमें रोड स्वीकृत कर दी ? उसके बाद आप स्वीकृति करते हैं, आप उसमें टी.एस. देते हैं, आप उसमें ए.एस. देते हैं, आप टेंडर निकालते हैं । सारी प्रक्रिया आप करते हैं और लास्ट में फिर रोड को निरस्त करते हैं तो मैं आपसे यह जानना चाह रही हूं कि क्या इसमें रोड और बन चुकी है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि अवैध प्लॉटिंग की जानकारी निगम को नहीं थी जब जांच की गयी तो स्वीकृति के बाद पता चला तो उसको निरस्त कर दिया गया है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, अभी आपने कहा कि जानकारी थी तब आपने रोड तोड़ी है । आपने अभी कहा है कि जानकारी थी तब आपने रोड तोडी है । आपने अभी कहा न कि आपको जानकारी हो गयी, आपको शिकायत मिली तब आपने रोड तोड़ी है तो अभी आप कहते हैं कि जानकारी नहीं है । आप कृपया मुझे यह बताईये कि यदि निगम को जानकारी नहीं थी तो उसने स्वीकृति कैसे दी ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके पार्षद ने प्रस्ताव दिया था । एम.आई.सी. ने प्रस्ताव पारित करके भेजा था ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, प्रस्ताव तो सभी देंगे । मैं चाहूंगी कि एक-जगह रोड बने करके यानी प्रस्ताव तो सभी पार्षद देते हैं, सभी लोग देते हैं तो क्या सभी का सेंक्शन हो जाता है ?

अध्यक्ष महोदय :- रंजना जी, आप प्रश्न पूछिए । आप तो लड़ रही हैं । (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं । बहुत दिन बाद पूछ हे, पूछन दे । (हंसी)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, बहुत सरल सा प्रश्न है कि चूंकि आपने स्वीकार किया कि निजी स्वामित्व की भूमि है । मैंने आपसे यह पूछा कि क्या इसके पहले इसमें रोड सेंक्शन हुई थी ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, उसमें पहले रोड सेंक्शन नहीं हुई थी ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- नहीं हुआ था न । प्राईवेट व्यक्ति ने रोड बनायी थी । प्राईवेट व्यक्ति ने चूंकि निजी स्वामित्व की भूमि है तो क्या प्राईवेट व्यक्ति ने इसमें रोड बनायी थी ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय बना था और जानकारी आने के बाद उसको तोड़ दिया गया था ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, यह अभी 6 महीने, साल भर पहले की बात है । 6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी और निगम में भी आपकी सरकार है, आप कैसा बता रहे हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकारी बदलते हैं तो जानकारी नहीं रहती । जब शिकायत आयी ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- निगम में बैठे तो 3 वर्ष हो गये हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- देखिये, मैं यही तो बता रहा हूं कि इस संबंध में जब जानकारी हुई, शिकायत हुई तो उसमें संज्ञान लेकर कार्य निरस्त किया गया ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, इसमें आपने जब अभी वर्ष 2020-21 में स्वीकृति दी और आपने वर्ष 2021-22 में वह टेंडर निरस्त किया तो आप मुझे अब कृपया यह बताईये कि क्या उसमें सी.सी. रोड बन गयी है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉलोनाइजर ने रोड बनाने का काम प्रारंभ कर दिया था। उन्हें नोटिस देकर काम रूकवा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, थैंक यू।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है। मेरा जिला है।

अध्यक्ष महोदय :- हां, थोड़ा छोटा करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता प्रतिपक्ष [XX][2], ऐसा उन्होंने नाम लिया। नियमत: तो नाम नहीं लेना चाहिए। भा.ज.पा. के ऊपर भी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के समय में बना। सबसे पहली बात तो अवैध सड़क कब बनी? उसकी दिन, तिथि बताएं, एक। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया गया तो मुझे यह बताने का कष्ट करें कि वह अवैध कॉलोनाइजर व्यक्ति कौन है? वह अवैध कॉलोनी कब विकसित हुई और उसमें क्या-क्या निर्माण-कार्य हुए, जिसकी जानकारी विभाग को है या नहीं है? अवैध कॉलोनाइजर का नाम जरूर बताएं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त रोड कॉलोनाइजर श्री सावलानी के द्वारा बनाया गया है।

---

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने एकदम छोटा सा प्रश्न पूछा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने बोला तो मैं जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा कि किसने बनाया तो मैंने बता दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह पूछा कि अवैध कॉलोनी है, यह आपको कब जानकारी हुई? आपने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है और सड़क कब बनी, इसकी जानकारी आपको कब हुई? शिकायत में तो लिखा होगा। आप यह बता दें। धन्यवाद, आपने अवैध कॉलोनाइजर का नाम बताया तो निर्माण-कार्य कब हुए और अवैध कॉलोनी कब से विकसित है, ये मुझे तारीख सहित बता दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब जानकारी हुई कि अवैध कॉलोनी है तो काम निरस्त कर दिया गया। पहले कब बनाया गया था, उसकी जानकारी हमें नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी, [XX] ये सब पर आरोप लगा सकते हैं। दिन-तिथि नहीं बना सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, ठीक है। श्री धरमलाल कौशिक जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, आप यह बता दीजिए कि इसमें आपने रोड सैंक्शन किया, उसके बाद रोड बना है या नहीं बना है, आप मुझे यह बताइए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रोड बनाने की कार्यवाही कॉलोनाइजर द्वारा चालू की गई तो उन्हें नोटिस देकर रूकवा दिया गया है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, यह मेरे पास फोटो है। आपका रोड कम्प्लीट हो गया है। 6 महीने से ऊपर हो गये हैं। चलिए, अब मुझे बताइए कि इसका पेमेंट कौन करेगा? अब इस ठेकेदार को पेमेंट कौन करेगा, यह मुझे बताइए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- देखिए, हमारे निगम ने नहीं बनाया है और कौन बनाया है, बनाने वाले को नोटिस दिया गया था।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, स्वीकृति तो आपने दी है। निरस्त आप कर रहे हैं, टेंडर आप जारी कर रहे हैं और इसका पेमेंट कौन करेगा, मैं यह जानना चाहती हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब हमने बनाया ही नहीं है तो पेमेंट का सवाल ही नहीं है। निगम ने बनाया ही नहीं है। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली तो हमने काम रूकवा दिया। अब वे बोल रहे हैं कि उन्होंने बनवाया ही नहीं है। जब काम शुरू हुआ, तभी तो आप उसे रूकवाने गये होंगे या ऐसे ही रूकवा दिया? आप अभी रिकॉर्ड निकलवा कर देख लीजिए। आपने कहा कि हमें जैसे ही मालूम हुआ, हमने काम रूकवा दिया।

माननीय विधायक बोल रही हैं कि 6 महीने पहले काम पूरा हो गया। चलिए, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, आप इसकी जांच कराएंगे क्या? माननीय विधायक की उपस्थिति में इसकी जांच करायेंगे क्या?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- विधायक जी बोल रहे हैं, उन्हीं को पूछिए ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- जी-जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, विधायक की जो शिकायत है, माननीय विधायक की उपस्थिति में रोड बनी या नहीं बनी, क्या माननीय मंत्री जी उसकी जांच कराएंगे?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, पूरक प्रश्न है। बिन्दुवार बोलिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक प्रश्न किया है कि मंत्री जी विधायक की उपस्थिति में जांच कराएंगे क्या? यह बता दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके विभाग ने एक सड़क तेलीबांधा से वी.आई.पी. चौक तक जादू से बना दिया। किसने बनाया है, नहीं मालूम।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमारे विभाग ने नहीं बनाया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह जादू से बन गया है। आज मेरे प्रश्न में है। पूरा जादू से बन गया है तो फिर यह भी जादू से बन सकता है। आप परिवर्तित तारांकित प्रश्न का 8वां प्रश्न देख लीजिए। तेलीबांधा से वी.आई.पी. चौक तक वह सड़क जादू से बना है तो यह सड़क भी जादू से बन गया होगा।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी..।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट। अध्यक्ष जी, आप कुछ बोल रहे हैं। जांच के लिए निर्देशित कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- ये चाहते हैं कि विधायक जी की उपस्थिति में जांच हो जाए तो क्या आप यह कर सकते हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- करवाना चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिखवा लेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, दिखवा लेंगे नहीं। जांच करा लेंगे, यह है। दिखवा लेंगे, ये क्या कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- दिखवा लेंगे का मतलब ही जांच करा लेंगे है। धरमलाल कौशिक जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो टालने वाली बात हो गई।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी को सीधे निर्देशित करना चाहिए कि हम विधायक की उपस्थिति में जांच करें।

अध्यक्ष महोदय :- महाराज, वही होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, दिखवा लेंगे तो टालने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, दिखवाने का मतलब भी दो आंख से ही देखते हैं न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप निर्देशित कर दें कि विधायक की उपस्थिति में जांच हो जाये।

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक छोटा सा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी इतना बता दें कि यदि आपने रोड बना दिया है तो अब उसका पेमेंट कौन करेगा?

अध्यक्ष महोदय :- धरमलाल कौशिक जी। बहुत हो गया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमने बनाया ही नहीं है तो पेमेंट का सवाल ही नहीं है। नगर-निगम ने बनाया ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- वे पेमेंट कैसे करेंगे?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आपने बनाया ही नहीं है तो आपको रूकवाने का अधिकार कैसे है?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, प्राइवेट कॉलोनाइजर ने बनाना शुरू किया तो हमने उसे नोटिस दिया कि काम बंद कर दो।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- तो फिर स्वीकृति का अधिकार कैसे है? आपने स्वीकार किया है। आपने उसे स्वीकृति दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधायक के सामने जांच करवा दीजिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोल रहा हूं। धरमलाल कौशिक। प्लीज

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, आपने स्वीकार किया है। वर्ष 2020-21 की रोड की स्वीकृति आपने दी है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। हो गया। बहुत हो गया। धरमलाल कौशिक जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय विधायक जी मामला उठा रही हैं । वैसा ही रायपुर का मेरा भी प्रश्न है, जिसको अतारांकित कर दिया गया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब प्रश्न आएगा तब पूछना, अभी तो आया ही नहीं है । पहले कैसे पूछोगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, एक गंभीर मामला है यह पूरे सदन का मामला है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जो प्रश्न आया नहीं है, माननीय विधायक जी उसका भी जवाब मांग रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- विधायक के सामने जांच करवा दीजिए अध्यक्ष जी ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत हो गया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी यहां बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके विभाग में क्या-क्या हो रहा है, अभी हम बताएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बताइए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रायपुर में भी इसी प्रकार की घटना हुई है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जादू से सड़क बना रहे हो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रायपुर में भी इसी प्रकार की घटना हुई है, तेलीबांधा से लेकर वीआईपी रोड तक ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है, अभी इनका प्रश्न आया नहीं है और पूछने लगे ।

अध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, आपके आने से पहले चर्चा हो गई है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इनका जो प्रश्न आया नहीं है उस पर पूछ रहे हो ।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी प्रश्न करें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका आदेश हो जाए, विधायक की उपस्थिति में जांच करा दें । महिला विधायक की उपस्थिति में जांच करा दें ।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आदरणीय नेता जी, मैं उनके सभी प्रश्नों का जवाब दे चुका हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रमाणित मामला है, अध्यक्ष जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, आप निर्देशित कर दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आज आपके कार्यकाल का 4 साल पूरा हुआ है आप जांच की घोषणा करेंगे तो विधान सभा की गरिमा बढ़ेगी । 4 साल में कुछ रिकॉर्ड बन जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय :- जहां तक मंत्री जी ने कहा है दिखवा लेंगे । दिखवा लेंगे शब्द विधान सभा की आश्वासन समिति में आता है । इसका मतलब जांच होगी ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, वह अलग प्रक्रिया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 4 साल पूरे होने वाले हैं और अभी तो मुख्यमंत्री जी के आश्वासन लंबित हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, बोलिए ना ।

श्री नारायण चंदेल :- कौशिक जी यहीं हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप 4 साल में एक रिकॉर्ड बना दीजिए ।

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी से आदेश चला जाए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है । अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला, ग़लत काम का मामला एकदम उजागर होता है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कुछ हुआ ही नहीं है तो कहां से उजागर होगा । क्या-क्या बोल रहे हो ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- और एक नहीं, विभाग में ऐसे कई मामले हो रहे हैं तो आपको तो इस प्रकार के जितने मामले हैं, उन सबकी जांच कराकर उनकी रिपोर्ट विधान सभा में रखें ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल जी, आपके आने से पहले पूरी चर्चा हो चुकी है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह तो बाद में आए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- दिखवा लेंगे, आश्वासन है ना । है या नहीं, यह तय करिये।

श्री नारायण चंदेल :- यह संवेदनशील मामला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- 4 साल में तो मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पूरे नहीं हुए हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपसे एक बात का आग्रह है कि हम सदन की समिति से जांच की मांग नहीं करते, आप स्वयं बोल दें कि 3 महीने में जांच कराकर विधान सभा में प्रस्तुत कर दें ।

श्री शिवरतन शर्मा :- विधायक की उपस्थिति में जांच करा लें ।

अध्यक्ष महोदय :- आप जांच कर दीजिए, 3 महीने के अंदर ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरे प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, जवाब गोलमोल है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- और क्या जवाब दूं ? जब हमने बनाया ही नहीं है तो जांच कराने और भुगतान करने का सवाल ही नहीं होता ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- तो फिर आपको रोकने का अधिकार कैसे है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अरे, आप ख़ुद बोल रहे हो कि हमने काम रूकवाया । जब आपका विभाग बना रहा था, तब तो आपने काम रूकवाया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- थोड़ा दिमाग़ लगाया करो हम नहीं बनवा रहे हैं, कालोनाइज़र ने शुरू किया तो हमने उसको नोटिस देकर बंद करवाया है । जो हमारा अधिकार है । अगर कोई ग़लत काम करेगा तो उस पर कार्रवाई करने का हमारा अधिकार है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भ्रष्टाचार करने का अधिकार है बोलते हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आसंदी से आदेश चला जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार प्रमाणित हो रहा है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- आपने स्वीकार किया है कि आपने ही स्वीकृति दी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी बोल रहे हैं भ्रष्टाचार करना हमारा अधिकार है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं । ऐसा नहीं बोला है । ग़लत बात ।

डॉ. रश्मि आशिष सिंह :- ग़लत बात मत किया करिये । ग़लत-ग़लत बात मत करो ।

अध्यक्ष महोदय :- ग़लत बात, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, ये महिला विधायक हैं ।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- गंभीर मामला बोल बोलकर, हर बात में गंभीर है, बहुत गंभीर है । बृजमोहन जी, आपके आने के बाद गंभीर हुआ है ।

श्रीमती रंजीना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी आपको स्वीकृति करने का अधिकार है, आपने उसे स्वीकृति दी है ।

श्री नारायण चंदेल :- सारे तथ्य और तर्क उनके पास में है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज जन्म दिन है दादी, आराम से बैठो ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी ।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ऐसा कर रहे हैं, न सूत है न कपास है और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा । अरे भई क्यों ऐसा कर रहे हो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अगर इस विधान सभा में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्रवाई नहीं होगी तो छत्तीसगढ़ के एक्सचेकर की रक्षा कैसे होगी ? हम विधान सभा में बजट पारित करते हैं । (व्यवधान) उस पैसे का दुरूपयोग हो रहा है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब काम ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कैसे हो गया, यह आपके सरकार के कार्यकाल की बात बता रहे हो ।

अध्यक्ष महोदय :- भ्रष्टाचार किसी व्यक्तिगत् के द्वारा किया गया है, उसकी जांच कैसे करेंगे ?

श्री कवासी लखमा :- जब विभाग के द्वारा काम ही नहीं हुआ तो भ्रष्टाचार कैसे होगा, जांच कैसे होगी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इनके समय में यह चलता था ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप उस अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे । आप उस अधिकारी से वसूली करेंगे क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- आप बोल दीजिए ना, दिखवा लेंगे की बजाय जांच करेंगे बोल दीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इस अधिकारी से वसूली करेंगे क्या ?

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- क्योंकि स्वीकृति इन्हीं ने दी है । माननीय मंत्री जी आपने स्वीकार किया है कि स्वीकृति आपने दी है तो आप अपने अधिकारी से वूसली करेंगे क्या, केवल इतना जानना चाह रही हूं ?

अध्यक्ष महोदय :- रंजना जी, मैं गिनवाऊं क्या कि आपने कितने प्रश्न किये हैं, गिनवाऊं क्या । आपके वरिष्ठ नेता का प्रश्न है उसे आने दीजिए ना, क्या दिक्कत है ।

डॉ.रश्मि आशिष सिंह :- सही बात है। बोलने नहीं दिया जा रहा है, जगह भी बदल दिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विधायक जी इस प्रकार से बोल रही हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- जितनी जानकारी आनी चाहिए, आ गयी है। नहीं-नहीं, ऐसा बोल रहा हूं....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनको अधिकार है। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय, उनकी जगह बदल दी गयी है। प्रश्न आ रहा है, उनको भी करने नहीं दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आपके आशीर्वाद से वह प्रश्न पूछ रही है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोल रहा हूं, पर्याप्त प्रश्न हो गया, अब दूसरा प्रश्न आने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी के उत्तर में विरोधाभास है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप उसको दूसरे शब्दों में निकालिए। कौशिक जी प्लीज। कौशिक जी, मदद करिए।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, धरमलाल कौशिक जी को प्रतिपक्ष के नेता से हटा दिए। अब उनको प्रश्न भी नहीं पूछने दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को बहुत-बहुत बधाई। इन लोगों ने जादू से सड़क बनाया है। आप जो भी काम करो जादू से करो। आज आप प्रश्नोत्तरी पढ़ लीजिए। तेलीबांधा वीआईपी चौक सड़क जादू से बना है।

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न में 20 मिनट हो गये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, अभी इस प्रश्न के उत्तर में दिया है। हमने कोई टेण्डर नहीं किया है। दादी जी, आप उस रास्ते से आते जाते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- वह सड़क जादू से बना है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जब आपका प्रश्न आयेगा तब बोलिए न, अभी प्रश्न नहीं आया है, जब प्रश्न आएगा तो बोलिए। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- सरकार को भी मालूम नहीं है कि वह सड़क कैसे बन गयी ? इतनी बड़ी सड़क कैसे बन गयी मालूम नहीं है। (व्यवधान) लानत है, शर्म है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह सब मंत्री आते जाते हैं। आज प्रश्न के उत्तर में दिया है। (व्यवधान) हमने कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय :- कौशिक जी, इस प्रश्न पर 20 मिनट से ज्यादा चर्चा हो गयी है। आप प्रश्न करिए। आपका, हमारा, हम सबका आखिरी साल है। आप जानते हैं, बहुत कम दिन है।

<u>प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निःशुल्क चावल वितरण की अनुमति</u>

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण]

3. (*क्र. 335) श्री धरम लाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मार्च, 2020 से नवम्बर, 2022 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कितना निःशुल्क चावल वितरण करने की अनुमति प्राप्त हुई है? उसमें कितनी मात्रा का वितरण किया गया है व कितनी मात्रा का वितरण शेष है? **(ख)** प्राथमिकता राशन कार्ड में 1,2,3,4 एवं 5 यूनिट वाले कार्डधारियों को क्रमशः केन्द्रीय व राज्य पुल से कितना-कितना चावल दिये जाने की मासिक पात्रता थी व पात्रता अनुसार चावल लिये जाने पर कितनी राशि हितग्राहियों से ली जाती थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2020 में चावल मिलने के पश्चात् नवम्बर, 2022 तक उक्तानुसार कार्डधारियों को कितना चावल दिये जाने की मासिक पात्रता थी व पात्रता अनुसार चावल लिये जाने पर कितनी राशि ली जाती थी तथा इस मासिक पात्रता में कितना चावल केन्द्रीय व राज्य पुल से तथा कितना चावल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत दिया गया था? **(ग)** प्रदेश में 1,2,3,4,5,6 व अधिक यूनिट वाले कार्डधारियों की संख्या कितनी है? कार्डवार जानकारी देवें? क्या विभाग द्वारा नवम्बर, 2022 हेतु कितने दुकानों के लिये चावल आबंटन जारी किया गया है, तथा कितनों के लिये नहीं? तथा क्यों?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : **(क)** प्रश्नांकित अवधि के दौरान केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 27.10 लाख टन चावल का आबंटन प्राप्त हुआ तथा हितग्राहियों द्वारा 26.40 लाख टन चावल के उठाव के बाद 0.70 लाख टन बचत चावल की मात्रा है । **(ख)** छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रदेश में प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को वितरण के लिए केंद्रीय पूल एवं राज्य पूल हेतु चावल की पृथक-पृथक पात्रता का निर्धारण नहीं किया गया है, अतः शेष प्रश्नाश उपस्थित नहीं होता. प्राथमिकता राशनकार्ड में एक सदस्य वाले कार्ड पर10 किलो, दो सदस्य वाले कार्ड पर 20 किलो, तीन से पांच सदस्य वाले कार्ड पर 35 किलो चावल की सामान्य मासिक पात्रता तथा उपभोक्ता दर 1 रुपये प्रति किलो निर्धारित है । प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अप्रैल 2020 में आबंटन प्राप्त होने के पश्चात् नवम्बर 2022 तक प्राथमिकता राशनकार्ड में एक सदस्य वाले कार्ड पर 10 किलो, दो सदस्य वाले कार्ड पर 20 किलो, तीन से पांच सदस्य वाले कार्ड पर 35 किलो चावल की मासिक पात्रता सामान्यतः निर्धारित है । प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत चावल निःशुल्क प्रदाय किया गया है तथा माह जुलाई 2020 से अप्रैल 2021 तक एवं माह अप्रैल 2022 तथा अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का आबंटन एवं राज्य पूल के चावल की उपभोक्ता दर रूपऐ 1 प्रति

किलो निर्धारित थी एवं प्रश्नांकित अवधि के शेष माहों में इन योजनाओं का चावल भी निःशुल्क वितरित किया गया है । प्रश्नांकित अवधि में प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्ड में 28.44 लाख टन चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आबंटन द्वारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के आबंटन द्वारा 23.99 लाख टन चावल तथा 11.32 टन चावल राज्य पूल के आबंटन से वितरित किया गया । **(ग)** जानकारी **संलग्न**[3] **प्रपत्र अनुसार है**. माह नवंबर 2022 में प्रदेश में संचालित समस्त 13,413 उचित मूल्य दुकानों हेतु राशन सामग्री का आबंटन जारी किया गया, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चार साल के कार्यकाल को सफलतापूर्वक चलाया, हम सबको बोलने का समय दिया, खास करके प्रतिपक्ष के उपर में आपका स्नेह प्यार दिखा है, निश्चित रूप से मैं आपको इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए धन्यवाद। आप लोगों को समय देने से पक्ष हमसे बहुत नाराज हैं। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- मंत्री लखमा जी को मैं बधाई देता हूं, आज जन्मदिन है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, वे अभी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वे खड़े होकर बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आज गाड़ा-गाड़ा बधाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने ग्रैंड दारू पार्टी की एलाउंस की है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने तीन बार उनके विभाग से संबंधित प्रश्न किया है। तीनों बार उत्तर नहीं आया है। कल के प्रश्न का भी उत्तर नहीं आया है। हमारे मंत्री जी इतने गंभीर हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत जी तो हैं ना।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं तो इसलिए इस बात को बोल रहा हूं कि हम प्रश्न लगाएं और उत्तर निरंक आये, जानकारी एकत्र की जा रही है। एक बार नहीं तीन बार ऐसा हुआ है। तीन बार प्रश्न लगाने के बाद भी उत्तर नहीं आए और उसके बाद अभी बहुत आराम से बोल रहे हैं, जब उनकी जवाब की बारी आएगी तो.....। अजय जी, अकबर जी को क्या बोलते हैं, फिर वे जवाब देंगे। इसलिए आपको बधाई।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए न। आपका प्रश्न गंभीर है लगता है। जल्दी शुरू करिए।

श्री अजय चंद्राकर :- वे मेरे मुर्शीद हैं और सरकार के सबसे हाफिज़ आदमी हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- वाह।

---

[3] परिशिष्ट "एक"

श्री कवासी लखमा :- माननीय धरमलाल जी, आप उपाध्यक्ष भी थे, प्रतिपक्ष के नेता भी थे, हम लोग आपका सम्मान करते हैं लेकिन उधर वाले सम्मान नहीं कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आज आपका जन्मदिन है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- इतना सूख-सूखा जन्मदिन नहीं होता है। वे तो सुबह से सूखे बैठे हैं, भैया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कोविडकाल में प्रधानमंत्री जी के द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना प्रांरभ की गयी जिसमें पूरे देश के 80 करोड़ व्यक्तियों को नि:शुल्क चावल का वितरण आज तक चल रहा है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या वह योजना अभी छत्तीसगढ़ में लागू है और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी नि:शुल्क चावल आज तक दिया जा रहा है और दी गयी है, मंत्री जी जवाब देंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- आज मंत्री जी बहुत सीरियस हैं, आज आये हैं तब से कुछ नहीं बोल रहे हैं, आधे घंटे से चुपचाप बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपके सीरियस प्रश्न का सीरियसली जवाब दे रहे हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- एकाध बार आपसे भी उम्मीद है, आप भी एकाध बार ऐसी चुपचाप बैठिए। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय सरकार के पत्र दिनांक 30 मार्च, 2020 द्वारा सर्वप्रथम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आबंटन जारी किया गया और 30 मार्च से 30 जून तक वर्ष 2021-22 में 26 अप्रैल से 26 नवंबर तक कुल 11 माह और अभी वर्ष 2022-23 में 28 मार्च से 29 सितंबर तक इसको संचालित करने का आदेश है। बीच में माह दिसंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक चार माह तक भारत सरकार द्वारा आबंटन जारी नहीं किया गया था।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह अप्रैल 2022 और अक्टूबर 2022 यह चावल का जो वितरण किया गया उसकी राशि आपके द्वारा हितग्राहियों से ली गयी है, उसको वापस कब किया जाएगा ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए जो आबंटन जारी किया गया है उसको अंतिम तिथि में जारी किया गया है जबकि हमारा जो भण्डारण का काम है वह 10 तारीख से शुरू हो जाता है। जब-जब हम नि:शुल्क चावल का वितरण किये हैं...।

श्री धरमलाल कौशिक :- भैय्या, मैं दो महीने का पूछ रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- मैं आपको बता रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- यदि आप मुझे पूरा बताएंगे तो कोई मतलब नहीं है। आपने पैसे लिये हैं, मेरे पास उसके दस्तावेज हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने भी उस प्रश्न को लगाया है। यह अप्रैल और अक्टूबर माह में लिया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- हां, मैं आपको उसको बता रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपको उसका डी.डी. नंबर बता देता हूं। मैं आपको मुंगेली जिला, बिलासपुर जिला और पूरे प्रदेश का बता देता हूं। इसी नंबर में बता देता हूं कि कितना लिया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जब-जब हम नि:शुल्क चावल वितरण किये हैं, उसकी भी तिथि है।

श्री धरमलाल कौशिक :- भैय्या, आपने पैसा लिया है।

श्री अमरजीत भगत :- मैं आपको बता रहा हूं, आप सुनिये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- क्या मैं आपको डी.डी. नंबर बता दूं ? मैं आपसे इतना ही तो पूछ रहा हूं कि आप उसको वापस कब करेंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माह अप्रैल, 2022 तथा अक्टूबर, 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो चावल है, उसका नि:शुल्क वितरण किया गया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अच्छा, चलिये, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- वह आरोप लगा रहे हैं कि आपने पैसे लिये हैं, क्या यह सही है ?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहले जी के मुंगेली विधान सभा क्षेत्र के सेवा सहकारी समिति, बरेला, भतरी के 43,930 रूपये हैं। मैं आपको डी.डी. नंबर बता सकता हूं। मैं आपको यह कागज भी दे दूंगा। इसमें जो पूरे दुकानों की संख्या है और उसमें पूरे मुंगेली जिले के 28 लाख, 18 हजार, 765 रूपये हैं तो आपने यह जो राशि ली है। यदि आप बोलेंगे तो मैं डी.डी. नंबर को यहां भी रख दूंगा। मैं टेबल कर दूंगा तो आप एक बार और पर्ची बुलवा लीजिए और उसके बाद जवाब दे दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- वहां जाकर भी जवाब दे सकते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कहा कि जिस अप्रैल माह से अक्टूबर माह तक का आप बता रहे हैं, इसमें हमको जो चावल मिला है वह 3 रूपये प्रति किलो की दर से मिला था और इस पीरियेड में भी केन्द्र सरकार ने हमको फ्री में चावल नहीं दिया है। हम 3 रूपये प्रति किलो में चावल लिये और जो एन.एफ.एस.ए. के तहत् है और सी.जी.एफ.एस.ए. है उसमें हमने 1 रूपये प्रति किलो की दर से उसको दिया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- तो आपका कहना यह है कि आपको अप्रैल और अक्टूबर माह का चावल फ्री में नहीं मिला है।

श्री अमरजीत भगत :- मैं आपको बता दिया।

श्री धरमलाल कौशिक :- यही है न ? हां, बोलिये न।

श्री अमरजीत भगत :- आप बोलिये न। आप एक साथ प्रश्न करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- फिर मैं आपके प्रश्न में आगे बढ़ूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- हां, आप बोलिये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं थोड़ी न हां बोलूंगा। में आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको केन्द्र सरकार से अप्रैल और अक्टूबर माह का चावल फ्री में वितरण करने के लिए मिला है ? यदि आप हां बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- चलिये, आप बोलिये न।

अध्यक्ष महोदय :- आप हां मानकर चलिये, आप आगे प्रश्न करिये। आप पूरा प्रश्न करिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब देंगे तब तो। मैं आगे कैसे बढ़ूं ? मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि क्या केन्द्र सरकार के द्वारा अप्रैल और अक्टूबर माह का चावल फ्री में वितरण करने के लिए दिया गया है ? तो आप इस बात को हां या नहीं में बतायें।

श्री अमरजीत भगत :- आप प्रश्न पूछिये न, मैं आपको उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- यह अप्रैल और अक्टूबर माह का स्पेसिफिक माह बता रहे हैं तो आप जो भी परिस्थिति है, उसको इनको बता दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- कागज आते जा रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- पेज आ रहे हैं, कागज नहीं आ रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर समझ में नहीं आत रीहिस का ?

श्री शिवरतन शर्मा :- काहे कि एक प्रश्न में दोनों के प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बैठेंगे तो मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री अमरजीत भगत :- आप पूछिये न।

श्री धरमलाल कौशिक :- हां, मैं बैठ जाता हूं। मैं तो देख रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें उक्त अवधि अप्रैल से अक्टूबर माह तक की आप बात कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चावल को नि:शुल्क दिया गया है और एन.एफ.एस.ए. का जो चावल है, उसको 1 रूपये प्रति किलो की दर से दिया गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- एन.एफ.एस.ए. तो अभी आया ही नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- क्यों ? हम दोनों चावल बांट रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो अतिरिक्त आबंटन है, उसको हम नि:शुल्क दिये हैं और जो एन.एफ.एस.ए. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) का चावल है, उसको हम 1 रूपये प्रति किलो में दिये हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, वह नि:शुल्क चावल नहीं मिला है। उस पूरे चावल का पैसा लिया गया है। पूरे चावल का पैसा लिया गया है। मैंने तो आपको बता दिया हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- इनका प्रश्न हो जाने दीजिए। आपको पूरक प्रश्न पूछने दिया जाएगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि उस चावल का पूरा पैसा लिया गया है और उसमें कोई रिबेट नहीं किया गया है । आपने जो रिबेट किया है, उसमें जो महीना दिया गया है, उसका उल्लेख नहीं है । आपने जो बताया है, वह मैं पटल में रख दूंगा । आपने बताया कि 13,413 दुकानें संचालित हैं। नवम्बर, 2022 में इन 13,413 दुकानों को चावल दिया गया तो क्या इन सभी दुकानों का सत्यापन हो गया है कि वहां पर कितना चावल कम है और उसके बाद चावल दिया गया ?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय जी, उक्त अवधि में पी.एम.जी.के.वाई. के तहत जो चावल प्राप्त हुआ, उसका कुल 27 माह में 27,10,395 टन में से 26,40,288 टन चावल का वितरण कर दिया गया और 70,107 टन चावल बचा है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं भौतिक सत्यापन के बारे में पूछ रहा हूं कि कितना हुआ ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम भौतिक सत्यापन के बाद ही बता रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, अक्टूबर महीने के चावल का वितरण नहीं हुआ । उसके बारे में कहा गया कि नवम्बर माह में भण्डारण करके देंगे । माननीय सदस्य वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि भौतिक सत्यापन में अक्टूबर माह का जो चावल था, वह नवम्बर में एक्स्ट्रा जाना था । वह गया या नहीं गया ?

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय जी, जो सत्यापन हुआ, आप अक्टूबर माह के चावल की बात कर रहे थे और मैं भी नवम्बर माह के चावल के बारे में आपसे पूछा कि आपने चावल दिया तो सत्यापन में कितना चावल कम पाया गया, अगर आपकी जानकारी में है तो आप बताएं ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, 5वां प्रश्न छोड़कर अभी 4 नम्बर में नारायण चंदेल जी का प्रश्न है, 6 में बृजमोहन जी का प्रश्न है, शिवरतन जी का प्रश्न है । इधर जाना है या नहीं ? आप यह बता दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अवधि में हमको जितना चावल प्राप्त हुआ, उतना वितरण कर दिया गया है और जो शेष है, मैंने उसके बारे में बता दिया है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं । मंत्री जी को मालूम है, लेकिन नहीं बता रहे हैं । सत्यापन किया गया है और उस सत्यापन में खाद्य सचिव को जो पत्र आया है और 68 हजार टन चावल, जिसका बाजार मूल्य 34 रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग 231 करोड़ रूपए होते हैं। यह चावल कम पाया गया है । मंत्री जी बता नहीं पा रहे हैं और इसी के आधार पर मुंगेली के सहायक खाद्य अधिकारी को निलंबित किया गया है । इसके बाद मैं और बता देता हूं । आप सत्यापन की बात छिपा रहे हैं, उसमें 13 हजार दुकानों के बारे में नहीं पूछता, मैं केवल रायपुर के 2

दुकानों के बारे में पूछना चाहता हूं, जिसका सत्यापन किया गया है और उसमें दुकानें सत्यापित की गयी तो रायपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14 आजाद महिला उपभोक्ता भंडार और जय गणेश उपभोक्ता भंडार भी शामिल है । इसमें फर्जी आधार कार्ड के आधार पर 1600 लोगों के फर्जी नाम जोड़े गए तथा 7200 क्विंटल चावल जो लगभग 3 करोड़ रूपए का होता है, का घोटाला इसमें सामने आया है । मैं कार्ड की संख्या का नाम बता देता हूं । उस कार्ड में 5 सदस्य हैं और 9 सदस्यों का फर्जी नाम जोड़ा गया है और 14 लोगों को लगातार चावल दिया जा रहा है । इस प्रकार से फर्जी काम किया जा रहा है । मैं दोनों समितियों के बारे में आपने पूछा है, आप उत्तर बता दें ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में प्रश्न किया है और पी.डी.एस. में अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं । आप बबूल की खेती करेंगे तो आम कहां से होगा ? आप गरीब कल्याण योजना का प्रश्न लगा रहे हैं और पी.डी.एस. के सत्यापन के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं । इससे कोई उद्भूत नहीं होता ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्भूत होता है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ध्यानाकर्षण लगाया है, उसके प्रश्न को प्रश्नकाल में पूछ रहे हैं । वह अलग प्रश्न है, जब वह आएगा तो उसका उत्तर दिया जायेगा । अभी तो इन्होंने गरीब कल्याण योजना के आवंटन एवं वितरण के बारे में प्रश्न किया है ।

(श्री शिवरतन शर्मा के हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- मूल प्रश्नकर्ता बैठ जाएं, फिर आपको मौका दूंगा ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने वही पूछा है । मैंने दो दुकान के सत्यापन के बारे में प्रश्न किया है, 13 हजार दुकान के बारे में मत बताओ । 5 व्यक्ति के नाम से राशन कार्ड है और फर्जी आधार कार्ड के आधार पर 9 लोगों का अतिरिक्त नाम जोड़ा गया है और गरीब कल्याण योजना का चावल दिया गया है । इन 2 दुकानों में 3 करोड़ रूपए से ऊपर के घपला सामने आया है । यह रायपुर का मामला है, मैंने दुकान का नाम भी बता दिया ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने गरीब कल्याण योजना के बारे में प्रश्न किया है कि कितना आवंटन प्राप्त हुआ, कितना वितरण हुआ, किस माह में नि:शुल्क वितरण किया गया, किस माह में 1 रूपए प्रति किलो लिया गया । अब इसमें पी.डी.एस. का सत्यापन कहां से आ गया ? आपने जो प्रश्न लगाया है, उसके बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास जो जानकारी है, वह आप पटल पर रख दीजिए। आप अपनी जानकारी यहां पटल पर रखना चाहते हैं तो रख दीजिए ।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो दुकानों के नाम बताये हैं । अच्छा, यह मैं नहीं बोल रहा हूं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- अंग्रेजी में बोलो भाई।

श्री अमरजीत भगत :- Not related to this question. (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरम लाल कौशिक :- यह मैं नहीं बोल रहा हूं। मोहले जी, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- वह अंग्रेजी में बोल रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जो इनके अधिकारी हैं, उन अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि जो सत्यापन किया गया है, उसमें इतना पाया गया है। अभी उसके आधार पर कई लोगों को नोटिस जारी किया गया है। मैं अभी नोटिस जारी करने पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं 2 दुकान के बारे में स्पेसीफिक प्रश्न पूछ रहा हूं कि सत्यापन में क्या पाया गया है, मैंने अभी नाम भी बताया है, मैं एक बार और नाम बता देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप नाम मत बताईये, प्रश्न गंभीर है। माननीय आप भी मान लीजिये और जांच करा दीजिये, उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, मैं आपसे पुन: अनुरोध कर रहा हूं कि ध्यानाकर्षण को इस प्रश्न में पूछ रहे हैं। वह इस प्रश्न से उद्भुत ही नहीं होता है। जब वह आयोगा तब उसका जवाब दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। इनको भी पूछने दीजिये, ये भी वरिष्ठ हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न में छोटा-छोटा 2-3 बात पूछ रहा हूं, आप बता दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- आज आपकी गति धीमी है।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं आज धीमा चल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी गति धीमी है, थोड़ा तेज चलिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं धीमा चल रहा हूं, रंजना जी पूछ रहीं थी तो बोल दिये कि लड़ रहे हैं, इसलिए मैं धीमा चल रहा हूं।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, पूछने का समय-सीमा है। आप विधान सभा के अध्यक्ष भी थे, नेता प्रतिपक्ष भी थे। दिन भर पूछोगे क्या ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप दूसरों के प्रश्न मे उठने में उस्ताद हो, जब खुद के विभाग का प्रश्न आता है तो मुंह बंद रहता है।

श्री कवासी लखमा :- आप किसलिए खड़े होते हो ? आपके लिए छूट है क्या?

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जीवन यापन करने वाले परिवारों के कार्ड की संख्या और उनके सदस्यों की संख्या एक लाईन मे बता सकते हैं क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, चलो भाई।

श्री अमरजीत भगत :- एक बार और प्रश्न कर दीजिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, जो गरीबी रेखा का कार्ड बना है, उसकी संख्या और उनके परिवारों की संख्या बतायेंगे क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- देखिये, आप जिस अवधि की बात कर रहे हैं, उस अवधि में ..।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022 की बात कर रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- ठीक है। कार्ड की संख्या में अन्त्योदय वाले 14,45,759 कार्ड, प्राथमिकता वाले 48,42,946 कार्ड, नि:शक्तजन वाले 13,861 कार्ड तथा निराश्रित 38,396 कार्ड, सामान्य कार्ड 9,17,170 कार्ड बने हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- उनके घर का पता भी बता दो न यार।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, 63 लाख कार्डों की संख्या है तथा 2 करोड़ 33 लाख 18 हजार 751 सदस्यों की संख्या है। मेरा प्रश्न पूछने का केवल इतना ही आशय है कि जो चावल आया, उसमें 5 किलो केन्द्र से आया, 5 किलो इनको देना था और गरीब कल्याण में 5 किलो एक सदस्य संख्या के हिसाब से चावल आया। यदि हम उस हिसाब से पूरा देखेंगे तो इस योजना के तहत जो चावल आया है, 11 लाख 33 हजार 380 क्विंटल प्रतिमाह के हिसाब से यहां के लोगो को मिलने के लिए चावल आया है। यदि हम इसको पूरा देखेंगे तो केन्द्र सरकार और गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत जो अतिरिक्त चावल भेजा गया 1 करोड़ 50 लाख 63 हजार क्विंटल चावल का वितरण नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि उस चावल का वितरण नहीं हुआ है, मैं आपको उसमें बताना चाहूंगा कि जिस चावल का वितरण नहीं हुआ है, इसमें टोटल करप्शन का मामला आया है। चावल का बाजार मूल्य 3400रूपया प्रति क्विंटल है। इस प्रकार 1 करोड़ 50 लाख 80 हजार 582 क्विंटल चावल का वितरण नहीं हुआ है।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछने का एक सीमा होता है। पूरा दिन भर पूछते रहेंगे क्या ? ये स्कूल के बच्चे हैं क्या ?

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, इस तरह वर्ष 2020 से अभी तक 5,127 करोड़ रूपये का घोटाला चावल में आया है। इसलिए मंत्री जी इसको घूमा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिये न।

श्री अमरजीत भगत :- आप बैठिये न, मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरा उत्तर आने दीजिये। जो टोटल आवंटन प्राप्त हुआ है, उसमें वर्ष 2020-21 में 8 माह के लिए 8 हजार टन, 2021-22 में 11 माह के लिए 11 हजार टन तथा वर्ष 2022-23 के लिए 8 माह के लिए 8 लाख टन, कुल मिलाकर 27 लाख टन चावल मिला है। उसमें से 26 लाख 40 हजार चावल वितरित कर दिया

गया है। श्रीमान इसमें कहां से आपका घोटाला आ गया है ? 70 हजार में से कहां से घोटाला आ गया ? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपको बता रहा हूँ ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- यह अपने जमाने की बात कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- आप बैठिये । आप सुन लीजिए, मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- उत्तर तो आने दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- आप राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा में 5 किलो देते हैं, हम देते हैं, जस्ट डबल 10 किलो । केन्द्र सरकार ने वर्ष 2013 में जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उसमें कहा था कि राज्य और केन्द्र में जो जिसका बेस्ट रहेगा, वह लागू होगा । हम आपसे ज्यादा देते हैं और डबल देते हैं, आपने जो शंका व्यक्त किया था कि कितना आवंटन जारी है और कितना वितरण, आपका आवंटन 27 लाख 10 हजार 395 हुआ और 26 लाख 40 हजार 288 हमने बांट दिया, केवल 70 हजार बचा है । इसमें घोटाला कहां से आ गया ? (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपको तीन महीने का पढ़कर बता देता हूँ ।

श्रीमती शकुंतला साहू :- एक ही क्वेश्चन को 30 मिनट से ज्यादा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- वह भी सरकार से उत्तर दे रहा है ।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें कहां से आ गया ? और सही बात बतायें । केन्द्र हमको प्राथमिक और अन्त्योदय कार्ड में केवल कितना देता है, वह 52 लाख 58 हजार कार्ड में चावल आवंटन करती है, जबकि यहां कार्ड की संख्या 63 लाख, 41 हजार राशन कार्ड है । इस प्रकार से राज्य सरकार जो है, 10 लाख 83 हजार कार्ड को अपने संसाधन से चावल बांटती है । (मेजों की थपथपाहट) सीजीएफएसी के तहत केवल अप्रैल से नवम्बर तक ...। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी ।

श्री मोहन मरकाम :- आप सुनिये तो मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- एक ही क्वेश्चन को 22 मिनट हो गये हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- अगर हम इस अवधि का देखें, अतिरिक्त हमने अपने संसाधन से बांटा है तो इसमें 6481 करोड़ का सब्सीडी राज्य सरकार ने दिया है और केन्द्र ने कितना दिया है, केन्द्र ने अप्रैल से नवम्बर 2022 तक 20 माह के लिये केवल 676 करोड़ सब्सीडी केन्द्र ने दिया है और हमने 6481 करोड़ दिया है । (मेजों की थपथपाहट) इसके अतिरिक्त सुन लीजिए । केन्द्र एपीएल के कार्ड में कोई आवंटन चावल नहीं देती है, हम एपीएल को भी चावल देते हैं । (शेम-शेम) हमने 2021 करोड़ का सब्सीडी एपीएल के लिये दिये हैं । (मेजों की थपथपाहट)

श्री मोहन मरकाम :- सुन लीजिए । सुनिये, सुनिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न हो जाने दीजिए ना ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- पहले उत्तर सुन लीजिए ना । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- पूरा तो उत्तर आ गया है । (व्यवधान)

डॉ. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- अब कुछ नहीं बचा है । (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- विधान सभा के बहाने [XX][4] स्थापित करना चाह रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कौशिक जी, मुझे नहीं कहना चाहिये, लेकिन मैं कह रहा हूँ, आप खुद ही अध्यक्ष रह चुके हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- अंतिम क्वेश्चन ।

श्री मोहन मरकाम :- मंत्री जी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- एक व्यक्ति को 22 मिनट हो गया । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- 1 जनवरी से जो चावल वितरण हुआ है, जो आपने बताया कि जनवरी में 11 लाख 53 हजार 380 क्विंटल, यह चावल आपको केन्द्र से मिला, (व्यवधान) नहीं हो तो देखकर पढ़ूंगा । आंकड़ें को तो देखकर पढ़ूंगा । 11 लाख 53 हजार 380 क्विंटल आपको मिला । कब, जनवरी में । आपने उसको जो वितरण किया, 10 लाख 7 हजार 34, उसमें जो बचा, 1 लाख 52 हजार 646, यह एक महीने का है । इसका मैं पूरा निकालूंगा तो फरवरी का बता देता हूँ 11 लाख 53 हजार 380, जो वितरण हुआ और 10 लाख 1 हजार 378, इसमें बचा 1 लाख 52 हजार ..(व्यवधान) इस प्रकार से हर महीने में जो चावल बचत हुआ, वह जो चावल बचत हुआ, अब उसको जो पूरा मिलायेंगे ते [XX] यह आपके पुलिंदे से और बाकी चीजों से नहीं होगा । मैं जो दे रहा हूँ, अथेंटिक है, यह जो घोटाला हुआ है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया । आप तो उसमें रख रहे हैं ना ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, यह क्या [XX] आपने उनको दिया है । आप लगातार पढ़ा रहे हो ।

अध्यक्ष महोदय :- अगला प्रश्न भी नारायण चंदेल जी का है ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट शब्दों में साफ-साफ कहा है कि जितना आवंटन प्राप्त हुआ, उसमें हमने वितरण किया, भ्रष्ट्राचार का प्रश्न ही नहीं उठता । (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में दिया है कि प्राथमिकता राशन कार्ड में एक सदस्य वाले कार्ड पर 10 किलो, दो सदस्य वाले कार्ड पर 20 किलो एवं तीन से पांच सदस्य वाले कार्ड पर 35 किलो चावल की सामान्य मासिक पात्रता तथा उपभोक्ता दर 1

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

रुपए प्रति किलो निर्धारित है। ये राज्य सरकार की पात्रता है। अब प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत जो चावल दिया गया, तो क्या इस पात्रता के अतिरिक्त चावल सरकार ने दिया है क्या? मेरा pointed प्रश्न है।

श्री अमरजीत भगत :- मैं पुन: सम्माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यदि वह हिन्दी में नहीं समझ रहे हैं, तो उन्हें अंग्रेजी में बताऊंगा। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने बहुत pointed प्रश्न किया है।

अध्यक्ष महोदय :- वह बता तो रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- 32 (1) The provisions of this Act shall not preclude the Central Government or the State Government from continuing or formulation other food based welfare schemes.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो मज़ाक किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- जवाब आ रहा है।

श्री कुलदीप जुनेजा:- अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में जवाब दिया जा रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- और 32 (2) Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, continue with or formulate food or nutrition based plans or schemes providing for benefits higher than the benefits provided under this Act, from its own resources.

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- देखिए, यह हंसी-मजाक का विषय नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। ....(व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- शक मत करिए, कोई घोटाला नहीं हुआ है। ....(व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- गरीबों का चावल है, हिन्दी में जवाब दो। ....(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जितना आवंटन प्राप्त हुआ, उतना वितरित कर दिया गया और 0.70 लाख टन बचा है। उसमें अब क्या पूछना है।

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब समझने के लिए आप कृपा करके विपक्ष के साथियों को "Rapidex English Speaking Course" की किताब लाकर दिलवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, वैसे मैं आपको आसंदी से कोई आदेश नहीं दे सकता कि आप अंग्रेजी या हिन्दी या फिर छत्तीसगढ़ी में बोलें, मगर फिर भी ऐसी सरल भाषा में बोलते, जिसे वे समझ जाएं। इसे आगे ख्याल रखिएगा। (हंसी) श्री नारायण चंदेल जी।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ी में बोल दूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वे अंग्रेजी में नहीं समझते तो छत्तीसगढ़ी में बोलने के लिए कह दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं अंग्रेजी में प्रश्न करूंगा। आप अंग्रेजी में प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, करूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, सदन की भाषा हिन्दी या छत्तीसगढ़ी है और आपको निर्देश देना चाहिए कि वे हिन्दी या छत्तीसगढ़ी में जवाब दें। यहां का कार्य आप देख लीजिए कि सदन की भाषा हिन्दी या छत्तीसगढ़ी है, इसलिए आप निर्देश दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- वह ठीक है, मगर कुछ लोगों को...।

श्री शिवरतन शर्मा:- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूछ चुके हैं, अब उनको पूछने दीजिए। उत्तर आना, नहीं आना तो आपका काम है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत pointed प्रश्न किया है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुन लीजिए। यदि आप प्रश्न से संतुष्ट नहीं हैं, तो आधे घंटे की चर्चा मांग लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नही आया, तो संतुष्ट कहां से होऊंगा। मंत्री जी, पहले जवाब तो दें।

अध्यक्ष महोदय :- आपके पास विकल्प है। समय 11.50 हो चुके हैं और इन 50 मिनटों में दो प्रश्न ही आए हैं। आप यदि संतुष्ट नहीं है, तो आधे घंटे की चर्चा मांग लीजिए।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेल-पूरी खा रहा था, तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। (हंसी)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत pointed प्रश्न किया था कि प्राथमिकता कार्ड हेतु प्रदेश सरकार की जो 10, 20 एवं 35 किलो चावल देने की पात्रता है, उसके अतिरिक्त प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो आई, उन्हें वह चावल एडिश्नल दिया गया या नहीं दिया गया, बस यह बता दें? ये मेरा मूल प्रश्न है।

(नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) द्वारा बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जवाब वह देंगे, आप क्यों खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- ये गलत प्रोसेस है। (व्यवधान)

श्री शिवकुमार डहरिया :- शिवरतन शर्मा जी, If you not understand english. My मंत्री जी is talking छत्तीसगढ़ी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही स्पेसिफिक प्रश्न है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का क्या हुआ ? आप वह बताईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- चावल नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप जवाब दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्रों को बहुत व्याकुलता है कि गरीब कल्याण योजना का जो चावल है वह वितरण किया गया है या नहीं किया गया है। आपने जो प्रश्न किया था 110, 210, 3, 4, 5, आप जिसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। उसमें राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के तहत जो चावल मिलता है, उसमें एक व्यक्ति को 5 किलो ...।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने वह तो लिखित में दिया है।

श्री अमरजीत भगत :- आप पहले बात सुनिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो प्रदेश सरकार की बाध्यता है क्या आपने उसके अतिरिक्त चावल दिया है ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप पहले सुनिए तो। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आपको सुनना तो चाहिए।

एक माननीय सदस्य :- आप पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपने प्रश्न पूछा है तो बात भी सुनिए। आप प्रश्न किए हैं तो लाईन से बात भी सुनिए। (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- हम लोगों से 5 गुना कम है लेकिन यह लोग हम लोगों को बोलने नहीं देते। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप जवाब सुनिए तब आप लोग अपनी बात रखिएगा लेकिन आप लोग जवाब सुन ही नहीं रहे हैं (व्यवधान) ।

सुश्री शकुंतला साहू :- हम लोग इन लोगों से संख्या में 5 गुना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- समझते नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX][5] (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- आप लोग पहले मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं ... (व्यवधान)।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको प्रश्न भी इनके हिसाब से और उत्तर भी इनके हिसाब से मिलना चाहिए। (व्यवधान)

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री मोहन मरकाम :- हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। आप सुनने की हिम्मत तो रखिए।

अध्यक्ष महोदय :- हर प्रश्न का प्रति (व्यवधान) उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हमारे मंत्री जी बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए तो।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या जवाब दे रहे हैं। [XX]

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जवाब में कोई (व्यवधान) गुंजाइश नहीं है। कोई घोटाला नहीं हुआ है। [XX] वाली कोई बात ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 15 साल तक क्या किया है ?

श्री गुलाब कमरो :- पुरानी सरकार में नान घोटाला हुआ है, हमारी सरकार में नहीं हुआ है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। उसको ध्यान से सुनिए। (व्यवधान)

संसदीय सचिव (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- [XX] (व्यवधान) [XX]

श्री शिवतरन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, 62 लाख परिवार का चावल नहीं दिया गया है। **2**(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सवाल यह नहीं है। आप तैश में शब्दों का खयाल रखिए कि आप किस तरह के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं।

श्री मोहन मरकाम :- आप लोगों ने 15 साल तक खाया है, वही आप यहां बता रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप किस तरह के शब्द उपयोग कर रहे हैं। आप उसका भी ख्याल रखिए।

एक माननीय सदस्य :- जो जैसा किया है वैसा ही सोचते हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- [XX][6] (व्यवधान।)

श्री शिवरतन शर्मा :- [XX] (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- [XX] (शेम-शेम की आवाज)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने कल कहा था कि सत्तापक्ष के सदस्य इंटरफेयर करते हैं, मैं इसके ऊपर व्यवस्था दूंगा। प्रश्नकाल में सत्तापक्ष के सदस्य खड़े होकर इंटरफेयर करते हैं। [XX] (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा:- [XX] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं सुनाई दे रहा है। (व्यवधान)

सुश्री शकुंतला साहू :- अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के कार्यकाल में नान घोटाला हुआ था। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- (व्यवधान) नान घोटाला को दिल्ली में .. (व्यवधान) आप ई.डी. से जांच करवा लीजिए।

---

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए। आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी प्रश्नकाल में स्थगन नहीं करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि 1-2 मिनट शांति से बात कर लीजिए। आपका प्रश्न है श्री नारायण चंदेल जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, बहुत प्वाइंटेड प्रश्न है, उसका उत्तर आ जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- हो गया ना। अब इनका प्रश्न है। आप बोलिए।

श्री मोहन मरकाम :- [XX] (व्यवधान)।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, यह झूठ पर झूठ बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाईये।

श्री मोहन मरकाम :- [XX] आज वह हमारी सरकार को बोल रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 4। श्री नारायण चंदेल।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिए। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- We are not asking any question from you. We are not answer any question from your. Next time you better answer my question in english.

अध्यक्ष महोदय :- श्री नारायण चंदेल जी का प्रश्न है।

श्री मोहन मरकाम :- [XX] (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- We are not asking any question from you. You are not ... (व्यवधान)।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक पहले प्रश्न का जवाब नहीं आया है। आज भी पूरा पक्ष खड़ा हुआ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी का प्रश्न है, आने दीजिए। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, अभी तक मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- सीधा-सीधा प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आप भी उनका जवाब दिए हैं। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- (व्यवधान) और उसमें सीधा-सीधा जवाब नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करूंगा लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तो आ जाए।

अध्यक्ष महोदय :- नारायण चंदेल जी का प्रश्न है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल को सत्ता पक्ष ने हमारे मंत्रियों ... (व्यवधान)। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष के मंत्री और सदस्य बात करेंगे यह उचित नहीं है। न ही यह परंपरा है, यह परंपरा भी नहीं है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं। यह सुनना नहीं चाहे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- यदि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो सुनिए ना .. (व्यवधान)। सब के सब खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, प्रश्न क्रमांक 04। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा :- अगर माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप भी उत्तर सुनिए। सबके सब खड़े हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 04 में आ जाईये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- सब प्रश्न में खड़े हो जाते हैं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। आप भी उत्तर सुनिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 62 लाख परिवार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नि:शुल्क चावल वितरण की अनुमति से संबंधित मामला है।

श्री कुलदीप जुनेजा:- आप जैसा उत्तर चाहेंगे, माननीय मंत्री जी वैसी उत्तर देंगे क्या ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिए। आप अपना प्रश्न करें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 62 लाख परिवार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नि:शुल्क चावल वितरण का मामला है और [XX][7] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने प्रश्न में आईये। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जांच कमेटी से इसकी जांच करायें। (व्यवधान)

श्रीमती छन्नी चंदू साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में नान घोटाला हुआ था।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जांच कमेटी से इस पूरे प्रकरण की जांच करायेंगे, क्या ? माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसंदी से आदेश करें।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न क्रमांक 04 करें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आसंदी से आदेश कर दें, यह महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने प्रश्न में आ जाईये।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। हमारा सदन की जांच कमेटी से आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- आप अपने प्रश्न में आ जाईये। आप लोग बैठिए।

---

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री मोहन मरकाम :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी ई.डी. से जांच करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्री कुलदीप जुनेजा:- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग गंभीर आरोप लगाते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय नारायण चंदेल जी का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 5 हजार करोड़ रूपये का मामला है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- [XX] (व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए.)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नारे लगाते हुए गर्भगृह में आए)

समय :

11.57 बजे

<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वयमेव निलम्बन</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयमेव निलंबित हो गये हैं:-

<u>भारतीय जनता पार्टी</u>

01. श्री धरमलाल कौशिक
02. डॉ. रमन सिंह
03. श्री बृजमोहन अग्रवाल
04. श्री पुन्नूलाल मोहले
05. श्री अजय चन्द्राकर
06. श्री नारायण चंदेल
07. श्री शिवरतन शर्मा
08. डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
09. श्री सौरभ सिंह
10. श्री डमरूधर पुजारी
11. श्री रजनीश कुमार सिंह
12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
13. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित.

(11.58 से 12.43 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12.43 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत पीठासीन हुए)**

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इनका निलंबन किया था। क्या आपने निलंबन समाप्त कर दिया है?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने विपक्षी सदस्यों का निलंबन किया है। यह निलंबित होने के बाद भी आकर बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोगों का अभी निलंबन समाप्त नहीं हुआ है। मैंने घोषणा नहीं की है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे वही पूछ रहे हैं कि क्या आपने विपक्षी सदस्यों का निलंबन समाप्त किया है?

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा गर्भगृह में नारेबाजी की गई।)

(भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आप लोगों का निलंबन समाप्त नहीं किया है, इसलिए जो सदस्य सभा से निलंबित हैं, उनसे निवेदन है कि सभा से बाहर चले जायें। पत्रों का पटल पर रखा जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी।

समय :

12.44 बजे **<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>**

<u>(1) भारत के नियंत्रक महालेखपरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 01)</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 01) पटल पर रखता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री (डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक) पटल पर रखता हूं।

(3) सहकारिता विभाग के निम्नलिखित अंकेक्षण प्रतिवेदन-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार -

(i) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2021-22 पटल पर रखता हूँ।

समय :

12:45 बजे

सरकारी उपक्रमों संबधी समिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि हेतु रिक्त स्थान पर एक माननीय सदस्य का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय :- सरकार उपक्रमों संबंधी समिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि हेतु रिक्त एक स्थान पर सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव को सोमवार, दिनांक 02 जनवरी, 2023 एवं मंगलवार, दिनांक 03 जनवरी, 2023 की कार्यसूची में शामिल किया गया था, किंतु कार्यसूची का निर्धारित कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही सभा की कार्यवाही स्थगित होने के कारण निर्वाचन का प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत नहीं हो सका। समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम प्रभावित न हो, इस हेतु मैंने, सभा की अनुमति की प्रत्याशा में समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्धारित निर्वाचन के कार्यक्रम को पत्रक भाग-दो के माध्यम से जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है।

मैं समझता हूं, सदन इससे सहमत होगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार परस्पर विरोधी नारे लगाए गए)

समय :
12:45 बजे

ध्यानाकर्षण सूचना

अध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण की सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेंगी और उत्तर दिया हुआ माना जायेगा।

1. सर्वश्री पुरूषोत्तम कंवर, मोहित राम ।

समय :
12:46 बजे

नियम 267 "क" के अंतर्गत विषय

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसे उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री कुलदीप जुनेजा
2. श्री संतराम नेताम।

समय :
12:46 बजे

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-5, भटगांव के सदस्य श्री पारसनाथ राजवाड़े

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-5, भटगांव के सदस्य श्री पारसनाथ राजवाड़े द्वारा दिसंबर, 2022 - जनवरी, 2023 सत्र में दिनांक 02 जनवरी, 2023 से दिनांक 06 जनवरी, 2023 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

मेरी माताजी का निधन दिनांक 30 दिसंबर, 2022 को होने के कारण मैं वर्तमान सत्र में दिनांक 02 जनवरी, 2023 से दिनांक 06 जनवरी, 2023 की अवधि में सभा की कार्यवाही में उपस्थिति नही हो सकूंगा।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-5, भटगांव के सदस्य श्री पारसनाथ राजवाड़े को दिसंबर, 2022 - जनवरी, 2023 सत्र में दिनांक 02 जनवरी, 2023 से दिनांक 06 जनवरी, 2023 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये?

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(अनुज्ञा प्रदान की गई)

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-66, वैशाली नगर के सदस्य श्री विद्यारतन भसीन

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-66, वैशाली नगर के सदस्य श्री विद्यारतन भसीन द्वारा दिसंबर, 2022 - जनवरी, 2023 सत्र में दिनांक 02 जनवरी, 2023 से दिनांक 06 जनवरी, 2023 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

स्वास्थ्यगत कारणों से मैं वर्तमान सत्र मं दिनांक 02 जनवरी, 2023 से दिनांक 06 जनवरी, 2023 की अवधि में सभा की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सकूंगा।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-66, वैशाली नगर के सदस्य श्री विद्यारतन भसीन को दिसंबर, 2022-जनवरी, 2023 सत्र में दिनांक 02 जनवरी, 2023 से दिनांक 06 जनवरी, 2023 तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये?

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

(अनुज्ञा प्रदान की गई)

समय :
12:47 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

1. श्री भनेश्वर शोभाराम बघेल
2. श्री कुलदीप जुनेजा

समय :

12:48 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022)

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई ।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) का पुर:स्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022)

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22 सन् 2022) का पुर:स्थापन करता हूं।

सदन को सूचना

(1) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा भोजन

अध्यक्ष महोदय :- आज दिनांक 4 जनवरी को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे लॉबी कक्ष में एवं पत्रकारगण प्रथम तल पर भोजन ग्रहण करें।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(2) उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर को पुरस्कृत किये जाने हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष है कि वर्ष-2021 के लिए चयनित "उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर को पुरस्कृत किये जाने हेतु उत्कृष्टता अलंकरण समारोह" माननीय राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके के मुख्य आतिथ्य में विधान सभा परिसर में 04 जनवरी को समय 7.00 बजे से आयोजन है। आप सब माननीय सदस्य एवं पत्रकारगणों आमंत्रित हैं।

समय :

12:49 बजे

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों द्वारा मैंने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए गुरूवार, दिनांक 05 जनवरी, 2023 को निर्वाचन की तिथि निर्धारित की थी। उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु मध्याह्न बुधवार, दिनांक 04 जनवरी, 2023 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक नामांकन प्रस्ताव प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की थी, जिसके तारतम्य में आज बुधवार, दिनांक 04 जनवरी, 2023 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक नामांकन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं । अत: मैं उपाध्यक्ष के निर्वाचन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए गुरूवार, दिनांक 05 जनवरी 2023 के स्थान पर आज बुधवार, दिनांक 04 जनवरी, 2023 की ही तिथि निर्धारित करता हूं ।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

अध्यक्ष महोदय :- दिसम्बर, 2022-जनवरी, 2023 में निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें ग्राह्य की गई है जो व्यपगत मानी जायेगी ।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

2. श्री अजय चंद्राकर
3. श्री नारायण चंदेल
4. श्री सत्यनारायण शर्मा
5. श्री नारायण चंदेल
6. श्री सौरभ सिंह
7. श्री बृजमोहन अग्रवाल
8. श्री अजय चंद्राकर
9. श्री अजय चंद्राकर
10. डॉ. विनय जायसवाल
11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
12. श्री कुलदीप जुनेजा
13. श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
14. श्री सत्यनारायण शर्मा
15. श्री संतराम नेताम
16. श्री संतराम नेताम
17. श्री लखेश्वर बघेल
18. डॉ. रमन सिंह
19. श्री अजय चंद्राकर
20. डॉ. रमन सिंह
21. श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
22. श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
23. श्री अजय चंद्राकर
24. श्री सौरभ सिंह

(सत्ता पक्ष के द्वारा नारे लगाये गये)

अप्रवेक्षित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्षीय व्यवस्था

आसंदी की अनुमति पश्चात् ही सभा में आरोप लगाये जा सकते हैं.

अध्यक्ष महोदय :- मैं सभा में माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप सभी सदस्य यह जानते हैं कि सभा में आरोप लगाने की एक विधिवत् प्रक्रिया पूर्व निर्धारित है तथा आसंदी की अनुमति पश्चात् ही सभा में आरोप लगाये जा सकते हैं । माननीय सदस्यों द्वारा विगत् दिवस एवं आज भी नियम विपरीत जो भी आरोप लगाये गये हैं, मैं उन्हें कार्यवाही से विलोपित करता हूं । यह भी अनुरोध करता हूं कि भविष्य में आरोप लगाने के पूर्व नियमों का पालन करें ।

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित ।

(12.53 से 2.05 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

2.05 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत पीठासीन हुए)**

(अनुपूरक कार्य सूची जारी की गई।)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने नारा लगाते हुए सदन में प्रवेश किया एवं गर्भगृह में आ गये)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोगों का निलंबन समाप्त नहीं हुआ है।

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर विरोधी नारे लगाये गये।)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोगों का निलंबन समाप्त नहीं हुआ है। (व्यवधान)

समय :

2.06 बजे **उपाध्यक्ष का निर्वाचन (क्रमश:)**

अध्यक्ष महोदय :- सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 8 के उपनियम (2) तद्अनुरूप नियम 7 के उपनियम (2) के अंतर्गत माननीय श्री संतराम नेताम, सदस्य के लिए पृथक-पृथक प्रस्तावकों की ओर से 7 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 7 के उप नियम (4) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव एक-एक करके उसी क्रम में रखे जायेंगे जिस क्रम में वे प्रस्तुत किये गये हैं :-

पहला प्रस्ताव

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि -

"श्री संतराम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार विरोधी नारे लगाये गये।)

दूसरा प्रस्ताव

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि -

"श्री संतराम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

तीसरा प्रस्ताव

डॉ लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करती हूं कि-

"श्री संतराम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

श्रीमती देवती कर्मा (दंतेवाड़ा) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

पांचवा प्रस्ताव

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि-

"श्री संतराम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

छठवां प्रस्ताव

श्री बघेल लखेश्वर (बस्तर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि-

"श्री संतराम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिशुपाल सोरी (कांकेर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- "श्री संतराम नेताम जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष चुना जाये।"

अध्यक्ष महोदय :- मैं श्री संतराम नेताम, जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, को विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में बैठ गये।)

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार विरोधी नारे लगाये गये।)

समय :

2.09 बजे

<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>

<u>(1) छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022)</u>

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि-छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर विरोधी नारे लगाये गये।)

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 18 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 18 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) विधेयक, 2022 (क्रमांक 21 सन् 2022) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22, सन् 2022) पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22, सन् 2022) पर विचार किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22, सन् 2022) पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 22, सन् 2022) पारित किया जाय ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा शासन एवं आसंदी विरोधी नारे लगाते हुए कागज फाड़कर आसंदी की ओर फेंके गए)

समय :

2.12 बजे

<u>प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव</u>

<u>(1) कृषि विभाग में सामग्री प्रदायकर्ता कंपनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीबार/प्रतिबंधित किये जाने और इससे संबद्ध विषयों पर सदन की जांच समिति का प्रतिवेदन</u>

सभापति (जांच समिति) (श्री धनेन्द्र साहू) :- मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि विभाग में सामग्री प्रदायकर्ता कंपनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीबार/प्रतिबंधित किये जाने और इससे संबद्ध विषयों पर सदन की जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत् करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत् हुआ ।

प्रश्न यह है कि कृषि विभाग में सामग्री प्रदायकर्ता कंपनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीबार/प्रतिबंधित किये जाने और इससे संबद्ध विषयों पर सदन की जांच समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत् करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध एवं श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा श्री कुंभन दास आड़िया एवं श्री अंबरीश आड़िया के विरूद्ध.

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के उप नियम (1) के परंतुक की अपेक्षानुसार -

(1) माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019.

(2) माननीय श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा श्री कुंभन दास आड़िया एवं श्री अंबरीश आड़िया के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020

पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

(1) माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019.

(2) माननीय श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा श्री कुंभन दास आड़िया एवं श्री अंबरीश आड़िया के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020

पर जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(3) शैक्षणिक संस्थाओं में हाजिरी हेतु बायोमेट्रिक टेबलेट की खरीदी और इससे संबद्ध विषयों की जांच हेतु गठित समिति

श्री दलेश्वर साहू (डोंगरगांव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि शैक्षणिक संस्थाओं में हाजिरी हेतु बायोमेट्रिक टेबलेट की खरीदी और इससे संबद्ध विषयों की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत् करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत् हुआ ।

प्रश्न यह है कि शैक्षणिक संस्थाओं में हाजिरी हेतु बायोमेट्रिक टेबलेट की खरीदी और इससे संबद्ध विषयों की जांच हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत् करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :
2.14 बजे

नियम 239 के अंतर्गत विचाराधीन सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर एवं श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना 19/2020 दिनांक 19.08.2020,

माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर, श्री शिवरतन शर्मा, श्री सौरभ सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत् विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 33/2022, दिनांक 17.07.2022.

माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर, श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री सौरभ सिंह द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 34/2022 दिनांक 21.07.2022.

माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर, श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री सौरभ सिंह द्वारा माननीय विधि मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 35/2022 दिनांक 21.07.2022.

माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर द्वारा माननीय सदस्य श्री मोहन मरकाम के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 36/2022.

मेरे समक्ष विचाराधीन है।

अध्यक्षीय व्यवस्था

शून्यकाल एवं प्रश्नकाल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

अध्यक्ष महोदय :- कल दिनांक 03 जनवरी, 2023 को माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा शून्यकाल में व्यवस्था के प्रश्न का प्रश्न उठाया गया था। प्रश्नकाल के दौरान सत्ता के सदस्यों द्वारा व्यवधान किये जाने से सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से...।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा प्वाईंट ऑफ आर्डर है।

अध्यक्ष महोदय :- Just minute प्लीज, प्लीज। सुचारू रूप से नहीं चल सकी। इस विषय पर आसंदी से व्यवस्था दिये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रथमत: तो शून्यकाल एवं प्रश्नकाल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है एवं प्रश्नकाल के दौरान कोई पक्ष, प्रतिपक्ष भी नहीं होता है। सभा के सभी माननीय सदस्य, सदस्य के नाते प्रश्न करते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर संबंध विभाग के मंत्री से प्राप्त करते हैं। तथापि मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रश्नकाल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जिसके माध्यम से माननीय सदस्य स्वयं के क्षेत्र एवं प्रदेश की जनता के हितों से जुड़े सवाल पर शासन से जानकारी प्राप्त कर अपने संसदीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं। अत: सभा के सभी सदस्य इसकी महत्ता को समझे एवं प्रश्नकाल अबाधित रूप से चलने दें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रतिपक्ष के निलंबित सदस्यों ने जिनका निलंबन समाप्त नहीं हुआ है, उन्होंने निलंबन के बाद भी आसंदी के प्रति अशोभनीय और अशिष्ट कार्रवाई की है जिसकी मैं आंसदी की गरिमा के विरूद्ध समझता हूं। वह उचित नहीं है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा प्वाईंट ऑफ आर्डर है। आज विपक्ष ने जो अध्यक्षीय दीर्घा का अपमान किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि सदस्य आदरणीय श्री बृजमोहन जी, श्री शिवरतन शर्मा जी और जिन्होंने भी यह हरकत की है, उनको निष्काषित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मैं विचार करता हूं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- निष्काषित किया जाए, उनको निलंबित किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- बर्खास्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

समय :

2:18 बजे

<u>राष्ट्रगान</u>

<u>"जन-गण-मन"</u>

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित।

(अपरान्ह् 2 बजकर 19 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 04 जनवरी, 2023

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं